



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04022021-224927
CG-DL-E-04022021-224927

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 473]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 4, 2020/माघ 15, 1942

No. 473]

NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 4, 2020/MAGHA 15, 1942

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

का. आ. 521(अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2020 के राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के आदेश सं 1216 (अ), जोकि विशेष सुविधाओं वाले पैक में रिंगर लैक्टेड इंजेक्शन के अनुसूचित फॉर्म्युलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है, एतद द्वारा आदेश सं 1216 (अ), दिनांक 25 मार्च 2020 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1) और (2) में क्र. सं और विनिर्माताओं का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्र.सं	विनिर्माताओं का नाम
(1)	(2)
12.	मैसर्स रियलकेड लाईफसाइंस प्रा० लिमिटेड

2. दिनांक 25 मार्च 2020 के का. आ. 1216 (अ) की तालिका क में विनिर्दिष्ट अधिकतम कीमतें इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से उपरोक्त क्र. सं. 12 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं के लिए लागू हैं।
3. मूल आदेश दिनांक 25 मार्च, 2020 के का. आ. 1216 (अ) में उल्लिखित सभी टिप्पणियां और अन्य विषय समान रहेंगे और लागू होंगे केवल टिप्पणी (क) और (ग) को छोड़कर, जो उपरोक्त क्र. सं. 12 में विनिर्दिष्ट विनिर्माताओं पर लागू नहीं होते हैं।

[पी.एन./215/83/2021/एफ/फा. सं. 8(83)/2021/डी.पी/एनपीपीए-डीवी-II]

प्रसेनजित दास, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

ADDENDUM ORDER

New Delhi, the 4th February, 2021

S.O. 521(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority's Order No. 1216(E) dated 25th March 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, related to ceiling price fixation of Ringer lactate injection in pack having special features is hereby extended for following manufacturers with the insertion of the Sl. No. and Name of Manufacturers, specified in column no. (1) and (2) respectively in Table 'B' of S.O. No. 1216(E) dated 25th March 2020, as detailed below:

Sl. No.	Name of Manufacturer
(1)	(2)
12	M/s Realcade Lifescience Pvt. Ltd.

2. The ceiling prices specified in Table A of S.O. 1216(E) dated 25th March 2020 are applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 12 above from the date of publication of this Order.
3. All the notes and other contents mentioned in the original order S.O. 1216(E) dated 25th March, 2020 shall remain same and are applicable except that notes (a) and (c) are not applicable to the manufacturers specified in Sl. No. 12 above.

[PN/215/83/2021/F/F. No. 8(83)/2021/D.P./NPPA-Div.-II]

PRASENJIT DAS, Dy. Director

परिशिष्ट आदेश

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2021

का. आ. 522 (अ).—भारत के असाधारण, राजपत्र में प्रकाशित, दिनांक 25 मार्च 2020 का राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का आदेश सं 1215(अ), जोकि I.V तरल पदार्थ (विशेष सुविधाओं के साथ नॉन-ग्लास) के अनुसूचित फॉर्म्यूलेशन पैक्स के अधिकतम मूल्य निर्धारण से संबंधित है जिसे आदेश सं 1215(अ) दिनांक 25 मार्च 2020 के तालिका, 'बी' में क्रमशः स्तंभ संख्या (1),(2) और (3) में विनिर्दिष्ट क्र. सं, विनिर्माताओं का नाम और उत्पादों/ब्रांड का नाम शामिल करके एतद्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं के लिये भी बढ़ा दिया गया है, जैसा कि नीचे दिया गया है: